-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में लापरवाही बरतने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2026 को वादी उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त हसन पुत्र नौसेर अली निवासी मकान नं0 324 असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद के द्वारा राणा फायर वर्क्स पटाखा फैक्ट्री ग्राम नया कुण्डा में लाईसेंस से ज्यादा माल का भंडारण करने व प्रतिबन्धित पटाखो का निर्माण एवं जानबूझकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरो की जान को जोखिम में डालना, जिससे फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण 02 मजदूरों की मृत्यु हो जाना तथा 02 मजदूरों के लापता होने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 355/2026 धारा 288/105 बीएनएस व 5/9बी विस्फोटक अधि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक देहात एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***हसन पुत्र नौसेर अली निवासी मकान नं0 324 असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद*** *को दूधला गंगोह रोड सत्संग भवन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसन पुत्र नौसेर अली निवासी मकान नं0 324 असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0 नि0 श्री दीपक राठी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।*
4. *है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक -26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **साजिद पुत्र आदिल निवासी मौ0 खाताखेडी 786 कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं0 1083/2022 धारा 125(3) सीआरपीसी मा0 न्यायालय प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय सहारनपुर) को मौ0 खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साजिद पुत्र आदिल निवासी मौ0 खाताखेडी 786 कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी सहारनपुर ।

2. है0का0 है0का0 1237 मोनू भाटी थाना मण्डी सहारनपुर ।

3. रि0का0 1210 लकी थाना मण्डी सहारनपुर ।

दिनांक 26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 02 पंखे बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 25.07.2026 को वादी श्री विनय वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एच0ए0वी0 इ0का0 सहारनपुर निवासी– मौ0 प्रतापनगर गली न0 – 2 निकट मुकुल ऐकेडमी थाना मण्डी जनपद-सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा एचएवी इण्टर कालेज के कक्ष सं0-07 से 02 पंखे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 384/26 धारा 305ए बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/वाहन चोरी/नशा तस्करी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण* ***1. मयूर पुत्र संजय निवासी भीष्मनगर थाना मण्डी सहारनपुर 2. सुशील पुत्र हरिराम निवासी भीष्मनगर थाना मण्डी सहारनपुर*** *को बाबा लाल दास रोड पर मन्दिर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 छत के पंखे बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.मयूर पुत्र संजय निवासी भीष्मनगर थाना मण्डी सहारनपुर।

2. सुशील पुत्र हरिराम निवासी भीष्मनगर थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 28/23 धारा 279/338 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 384/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण-

- *02 छत के पंखे (कॉफी रंग के)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 310 विपिन पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

5. का0 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक 26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चैकिग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त ***आसमौहम्मद पुत्र अरसद नि0 मकमूला कालोनी थाना गागलहेडी सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0- 77/26 धारा घरेलू हिंसा अधि0) को कस्बा गागलहेडी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम व पता –

आसमौहम्मद पुत्र अरसद नि0 मकमूला कालोनी थाना गागलहेडी सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

2- है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

3- है0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट/नशा तस्करी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2026 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान अभियुक्त लाखन उर्फ कल्लू पुत्र गोरखा निवासी मोजम्मपुरा जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को जिला अस्पताल के पीछे नलकूप के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 185/26 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लाखन उर्फ कल्लू पुत्र गोरखा निवासी मोजम्मपुरा जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 13/22 धारा 60 आब0अधि0 थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अभिशेक कुशवाह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
2. का0 2343 संदीप कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।

दिनांक 26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 12.04.2026 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त फरमान अहमद पुत्र सैय्यद मौ0 नसीम निवासी गली न012 धोबीवाला नियर तय्यबा मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना व छेडखानी करने सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 184/26 धारा 76/115(2),352,64(1)बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***फरमान अहमद पुत्र सैय्यद मौ0 नसीम निवासी गली न012 धोबीवाला नियर तय्यबा मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर*** *को रेलवे क्वार्टर खलासी लाईन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

फरमान अहमद पुत्र सैय्यद मौ0 नसीम निवासी गली न012 धोबीवाला नियर तय्यबा मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2025 रहीसुद्दीन थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. रि0का0 2003 अमित गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक 26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गय्यूर राणा पुत्र कय्यूम निवासी गाँव संमसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर के द्वारा इन्स्टाग्राम पर बातचीत कर दोस्ती करना, अपने पास बुलाकर देहरादून आदि जगह घुमाना तथा वादिया को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना तथा कॉलड्रिंक मे नशीली दवा मिलाकर अश्लील वीडियों बनाना तथा अलग-2 जगहों पर ले जाकर संबंध बनाना तथा गर्भवती होने पर वादिया का दो बार गर्भपात कराना मना करने पर गाली गलौच कर मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 239/2026 धारा 69/65(1)/123/115(2)/191(2)352/351(2) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व मे आज दिनांक 26.07.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गय्यूर राणा पुत्र कय्यूम निवासी गाँव संमसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को शाहजहांपुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

गय्यूर राणा पुत्र कय्यूम निवासी गाँव संमसपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. *मु0अ0सं0 239/2026 धारा 69/65(1)/123/115(2)/191(2)352/351(2) बीएनएस व 5L/6 , 3/4 (2) पोक्सो एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 149/2024 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम व 147/149/307/323/504/506 भादवि थाना सरसावा स0पुर*
3. *मु0अ0सं0 152/2024 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम व 307 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0-170/2026 धारा 115(2)/117(2)/351(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. *श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर।*
2. *म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना सरसावा सहारनपुर।*
3. *म0का0 1451 विनीता, थाना सरसावा सहारनपुर।*
4. *म0का0 1450 अलका, थाना सरसावा सहारनपुर।*
5. *हे0का0 760 गुड्डू तंवर, थाना सरसावा सहारनपुर।*
6. *रि0का0 2599 सुधीर थाना सरसावा सहारनपुर।*

दिनांक: 26.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने व जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *अवगत कराना है कि दिनाँक 25.07.2026 को वादी की तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व अपहृता का ब्रेन वाश कर अपहृता को मुस्लिम धर्म के प्रति झूठी विशेषताए बताकर मुस्लिम धर्म से मिलने वाली सहायता राशी के रुप मे आसानी से मिलने वाली भारी रकम, भौतिक सुख व नौकरी आदि का प्रलोभन देना तथा अनैतिक अन्य तरीकों से अपने जाल मे फंसा कर अपहृता का जबरन हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराकर अपहृता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 265/26 धारा 87, 64(1),61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0 2021 पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 26.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मुकमदें में वांछित अभियुक्त* ***शौकीन पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को कच्चा पक्का दुमझेडा से पठेड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अपहृता का मूल आधार कार्ड, पैन कार्ड व धर्म परिवर्तन कराने सम्बन्धी शपथ-पत्र व धर्म परिवर्तन के बाद बनवाया गया आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शौकीन पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *अपहृता का मूल आधार कार्ड*
- *अपहृता का मूल पैन कार्ड*
- *धर्म परिवर्तन कराने सम्बन्धी शपथपत्र*
- *धर्म परिवर्तन के बाद बनवाया गया आधार कार्ड*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1- *श्री विनोद कुमार थानाध्यक्ष थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2- *व0उ0नि0 श्री राजकुमार चौहान थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3- *उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
4- *है0का0 1111 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
5- *म0का0 683 अंशु थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*